Ashirvar ... 31 ... 19/12/18

राजस्थान सरकार

निदेशालय पशुपालन, राज.जयपुर

क्रमांक: एफ 9 ( ) लेखा/क्रय-ब/2017-18/ दिनांकः-

कार्यालय आदेश

Lab India InstrumentsPvt. Ltd. Gurgoan Haryana द्वारा निदेशालय पशुपालन विभाग के स्तर पर जारी बोली संख्या 8736 दिनांक 21-9-2016 में भाग लिया गया था, जिसमें लैब से संबन्धित उपकरणों को क्रय करने हेतु विभागीय सम संख्यक पत्र क्रमाक 5543 दिनाक 12-10-2017 द्वारा फर्म Lab India दरे स्वीकृत की गयी थी। उक्त बोली की दरे 15-03-2018 तक वैद्य थी।

संयुक्त निदेशक राज्य रोग निदान केन्द्र पशुपालन विभाग जयपुर व उदयपुर द्वारा क्रमशः अपने पत्र क्रमाक 2296 दिनांक 01-01-2018 एवं पत्र क्रमांक 2299 दिनांक 01-01-2018 द्वारा फर्म को एक-एक वॉटर फ्यूरीफिकेशन सिस्टम (Water Purification) राशि प्रति इकाई 9,90,000/-रूपये 75 दिवस में आपूर्ति करने के आदेश जारी किये गये थे। फर्म द्वारा निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करते हुये आपूर्ति अवधि बढ़ाने हेतु पत्र दिनांक 08-03-2018 द्वारा निवेदन किया गया जिसके आधार पर निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 33 दिनांक 15-03-2018 द्वारा अनुबन्ध की अवधि एवं आपूर्ति अवधि 6 सप्ताह अर्थात दिनांक 26-04-2018 तक बढायी गयी तथा 16-03-2018 के पश्चात माल आपूर्ति करने पर निविदा की शर्त 18 के अनुसार Liquidated damages नियमानुसार फर्म से वसूली योग्य होने की शर्त रखी गयी।

विभाग द्वारा जो अवधि बढ़ायी थी फर्म द्वारा उक्त बढायी गयी अवधि में भी माल की आपूर्ति नहीं करके अपने पत्र दिनांक 27-04-2018 (जो कि कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर 30-05-2018 को दिया गया) द्वारा पुनः पूर्ववर्ति कारणों के कारण पुनःआपूर्ति अवधि 5 सप्ताह बढाये जाने का निवेदन किया गया जिसे अस्वीकार कर निदेशक पशुपालन ने पत्र क्रमाक 528 दिनांक 29-06-2016 द्वारा फर्म को सूचित किया व माल आपूर्ति निर्धारित अवधि एवं बढायी गयी अवधि में भी नहीं करने के कारण निविदा की शर्तो के अनुसार क्रय आदेश स्वतः ही निरस्त हो गये।

फर्म द्वारा माल की आपूर्ति नही करने के कारण राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46 (5) के अन्तर्गत नोटिस क्रमांक 6224 दिनांक 31-8-2018 जारी कर फर्म को 7 दिवस में अपना पक्ष विभाग में प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया था। परन्तु फर्म ने नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया।

अतः राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये फर्म Lab India Instruments Pvt. Ltd. Gurgoan Haryana के विरूद्व निम्नुसार आदेश पारित किये जाते है:-

1. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 11 (3) (ग) एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग के नियम 57 (5) (ख) के अनुसार फर्म की जमा प्रतिभूति निक्षेप राशि 279430/- (बैंक गारन्टी नं0 00610100004479 दिनांक 17-03-2017) को समपहत (forfeit) किया जाता है।
2. राजस्थान लोक उपापान पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 11 (3) (च) एवं धारा 46 (4) के अनुसार फर्म को आगामी उपापनों में भाग लेने से 2 वर्ष के लिये विवर्जित (debarred) किया जाता है।

(डा0 शैलेश शर्मा)
निदेशक